

**Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017**

**<sup>1</sup>[Section 9A : Utilisation of input tax credit**

Notwithstanding anything contained in section 9, the input tax credit on account of Union territory tax shall be utilised towards payment of integrated tax or Union territory tax, as the case may be, only after the input tax credit available on account of integrated tax has first been utilised towards such payment.]

---

---

**1** Section 9A inserted by Union Territory Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018 (33 of 2018) w.e.f. 01-02-2019 by Noti. No. 1/2019-Union Territory Tax, dt. 29-01-2019.

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

**1[धारा 9क : इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग**

धारा 9 में किसी बात के होते हुए भी, संघ राज्यक्षेत्र के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के संदाय के लिए केवल तभी किया जाएगा जब ऐसे संदाय के लिए एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय का पहले उपयोग कर लिया गया हो।]

---

---

1 संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 33) द्वारा धारा 9क अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2019—संघ राज्यक्षेत्र कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।